

28

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 72 1971-72

यह प्रमाणित किया जाता है कि कॉन्टैनरों डापर ऐमेंडमेंट स्कूल
न्यूकेशनल सोसायटी जयपुर जिला अग्रे का
संस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताधारों और कार्यालय की सील से आज
ताकि उन्हें भाव भूत सन् एक हजार नो सी इन्डिया को
पुर में दिया गया।



रजिस्ट्रार संस्थान, राजस्थान,
जयपुर।

रा. क्र. नं. अ. 1599-2000-70.

- मान्यता दिया गया है कि निम्न विवर प्राप्त हैं
- 1 दृष्टाधार 2000-70-2-06
 - 2 दृष्टाधार 2000-70-2-06
 - 3 नकल दृष्टाधार पत्र देने की दि. 20-2-06
 - 4 नकल दृष्टाधार पत्र की दि. 20-2-06
 - 5 नकल देने की दिनांक 20-2-06

रजिस्ट्रार संस्थान
बच्चे